This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 30 नवम्बर, 2013 / 9 अग्रहायण, 1935

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 28th *November,* 2013

No. HHC/GAZ/14-290/06.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days earned leave *w.e.f.* 25-11-2013 to 7-12-2013 with permission to prefix Sunday felling on 24-11-2013 and to suffix Sunday falling on 8-12-2013 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-*cum*-JMIC, Kandaghat District Solan, H.P.

Certified that Shri Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat, District Solan H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 27th *November,* 2013

No. HHC/GAZ/14-312/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 15 days' earned leave w.e.f. 25-10-2013 to 8-11-2013 with permission to prefix Second Saturday and Sunday fell on 9-11-2013 & 10-11-2013 in favour of Shri Amardeep Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba, H.P.

Certified that Shri Amardeep Singh has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amardeep Singh would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th *November,* 2013

No. HHC/GAZ/14-335/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of three days' un-availed earned leave *w.e.f.* 24-10-2013 to 26-10-2013 already sanctioned vide this Registry Notification of even number dated 9-10-2013 in favour of Shri Vikas Gupta, Civil Judge (Junior Division)- cum-JM (4), Hamirpur, H.P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

CORRIGENDUM

Shimla, the 26th *November,* 2013

No. HHC/Rules(Vol V)/1997.—The figures '1997' shall stand added after the words "High Court of Himachal Pradesh", in the last line of the first para of the 2nd amendment notified vide this Registry Notification No.HHC/Rules (Vol. V)1997-25491-99, dated 20-9-2013.

Further, the figures '2013' shown under Sr. No. 1 of short title in the fourth line shall stand replaced by the figures '1997' and the figures '2013' shall follow after the words "(2nd amendment)".

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

CORRIGENDUM

Shimla, the 26th *November,* 2013

No. HHC/Rules(Vol V)/1997.—The figures '1997' shall stand added after the words " High Court of Himachal Pradesh", in the last line of the first para of the 3rd amendment notified vide this Registry Notification No.HHC/Rules (Vol. V)1997-26025-33, dated 21/24-9-2013.

Further, the figures '2013' shown under Sr. No. 1 of short title in the fourth line" shall stand replaced by the figures '1997' and the figures '2013' shall follow after the words (3rd amendment).

Besides, sub-rule (x) & (xi) shall stand renumbered as sub-rule (vii) and sub-rule (viii) in the fourth line after the words 'sub-rule (vi) under amendment (a).

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 25th *November,* 2013

No. HHC/GAZ/ 14-311/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 25.11.2013 to 4.12.2013 with permission to prefix Sunday falling on

24.11.2013 in favour of Shri Kapil Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (I), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Certified that Shri Kapil Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Kapil Sharma would have continued to hold the same post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (I), Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th *November,* 2013.

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIII.—It is hereby notified for information of the Civil Judges(Junior Division) concerned that the 61st Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla-171 001 on the following dates:—

Date	Paper/subject	Time
Thursday December 26, 2013	Criminal Law Civil Law	10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Friday December 27, 2013	Revenue Law-I Revenue Law-II	10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Saturday December 28, 2013	Accounts Constitutional Law	10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM

By order,
Registrar (Legal Research & Rules)
Secretary Departmental
Examination Committee.

श्रम एवं रोज़गार विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 28 नवम्बर, 2013

संख्याः श्रम (बी) 10–52 / 2010(स्थापना).––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोज़गार विभाग में, **संयुक्त श्रमायुक्त, वर्ग–I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोज़गार विभाग, संयुक्त श्रमायुक्त, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियाँ.**––(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या श्रम(बी)2–20 / 97 तारीख 30–10–1998 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोज़गार विभाग, संयुक्त श्रमायुक्त, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1998 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार)।

––––––––––

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोज़गार विभाग में संयुक्त श्रमायुक्त, वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नामः**––संयुक्त श्रमायुक्त।

2. **पदों की संख्याः**–– 01 (एक)।

3. **वर्गीकरणः**––वर्ग–I (राजपत्रित)।

4. **वेतनमानः**––पे बैण्ड ₹15600–39100 / –जमा त 6600 / –ग्रेड पे

5. **"चयन' पद अथवा 'अचयन' पद :**––चयन ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु :**––लागू नहीं ।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः––(क) अनिवार्य अर्हता(एं) :** लागू नहीं ।

(ख) वांछनीय अर्हता(ए) :––लागू नहीं ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (यों) की दशा में लागू होंगी या नहीं :––आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता:––लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता :––शत–प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, उप–श्रमायुक्तों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया(ग्रेड) जिनसे <u>प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण</u> किया जाएगा :––नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवा काल हो, ऐसा न होने पर उप–श्रमायुक्त में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उप–श्रमायुक्त और श्रम अधिकारी के रूप में संयुक्ततः आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके आठ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें उप–श्रमायुक्त के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य होनी चाहिए।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया के अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो), के आधार या उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/संवर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पद्धारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बंधी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण:––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईजड आर्मड फोर्सिस परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वेकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैकनीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी,

यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप, पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो, उसकी सरंचना :——जैसी कि समय–समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा :——लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः——लागू नहीं ।

16. आरक्षणः——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के, अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षाः——सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 मे यथा विहित विभागीय परीक्षा उर्तीण करनी होगी ।

18. शिथिल करने की शक्तिः——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Shram*(*B*) 10-52/2010 *dated* 27-11-2013 *as required under the Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 28*th November,* 2013

No. Shram(B)10-52/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Joint Labour Commissioner, Class-I** (Gazetted) in the Department of Labour and Employment, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:—

1. Short title and Commencement:—(1)These rules may be called the Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Joint Labour Commissioner, Class-I(Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2013.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings:—(1) The Himachal Pradesh Labour and Employment Department, Joint Labour Commissioner, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1998 notified vide this Department notification No. Shram(B)2-20/97 dated 30-10-1998 are hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the Rules, so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have validly made or done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Lab. & Emp.).

ANNEXURE-"A"

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Joint Labour Commissioner, Class-I, (Gazetted) in the Department of Labour & Employment, Himachal Pradesh

1. Name of the Post:—Joint Labour Commissioner

2. Number of post(s):—01(one)

3. Classification:—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay:—Pay Band F 15600-39100+ F 6600/- Grade Pay

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post:—Selection

6. Age for direct recruitment:—Not applicable.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s):—(*a*) Essential Qualification(s):—Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s):—Not applicable.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):—*Age*: Not applicable.

Educational Qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any:—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:—100% by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made:—By promotion from amongst the Deputy Labour

Commissioners with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Deputy Labour Commissioners with eight years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Deputy Labour Commissioner & Labour Officer out of which two years essential service as Deputy Labour Commissioner.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/ her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/ appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/ her in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/ her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:—As required under the Law.

14. Essential requirement for direct recruitment:—Not applicable.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment:—Not applicable.

16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to relax:—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

In the Court of Shri Vinay Dhiman (HAS), Special Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Xavier Luc Marc Francois Cayrou, aged 45 years s/o Mr. Cayrou Pierre, r/o French National passport No. 08CP97456, at present residing at Village 17 mile, P. O. Bran, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Miss Anjna, aged 23 years d/o Shri Hira Lal/Smt. Sunita, r/o Village 17 mile, P. O. Bran, Tehsil Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

Versus

General public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Xavier Luc Marc Francois Cayrou and Miss Anjna has presented an application on 19-11-2013 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 18-12-2013 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court on 15-11-2013.

Seal.

VINAY DHIMAN,
Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 26 नवम्बर, 2013

संख्याः एफ0एफ0ई0–बी–ए(3)–2 / 2013.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 41 और 42 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रीय सीमाओं में, से और के भीतर भू–मार्ग द्वारा वन उपज के संचलन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः––

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्गों द्वारा) नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू होंगे।

(3) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**––(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) 'अधिनियम' से भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम् की धारा अभिप्रेत है;

(ग) 'मण्डल' से वन के प्रबन्धन के प्रयोजन के लिए गठित और सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित वनों की कार्यपालक वन प्रबन्धन इकाई अभिप्रेत है;

(ध) ''वन मण्डल अधिकारी'' से, सम्बद्ध मण्डल के प्रभार को धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''अरण्यपाल'' से सम्बद्ध वन वृत के प्रभार को धारण करने वाला अधिकारी अभिप्रेत है; और

(च) पडताल ''चौकी'' से वन उपज की पड़ताल और संचलन को विनियमित करने के लिए इन नियमों के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई चौकी अभिप्रेत है ।

(2) उन अन्य समस्त शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं ।

3. **सम्पत्ति चिन्हों के साथ परिवहन.**––कोई भी व्यक्ति ईंधन की लकड़ी, खैर की लकडी, बांस, चारकाले, औषधीय पौधे, घास, छाल, पत्ते, तना, जडें, फूल, फल, काने सहित पौधों के अन्य भाग और बीज, जिनके उपर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह छाप नहीं लगती है, से अन्यथा किसी वन उपज का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन कारित नहीं करवाएगा ।

4. **सम्पत्ति चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण और इसका उपयोग.**––(1) नियम 3 के अधीन से अन्यथा भू–मार्गों द्वारा वन उपज के परिवहन के इच्छुक समस्त व्यक्ति, वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय में चिन्ह या चिन्हों, जो ऐसी वन उपज में उनके साम्पत्तिक अधिकार उपदर्शित करते हैं, को रजिस्टर करेगा; परन्तु किसी इमारती लकड़ी, जिसका अधिकार धारक द्वारा केवल सम्बद्ध राजस्व सम्पदा के भीतर, उसके पक्ष में इस प्रभाव की मंजूरी के परिणामस्वरूप परिवहन किया जा रहा है, पर कोइ चिन्ह अंकित करना अपेक्षित नहीं है।

(2) किसी व्यक्ति को कोई चिन्ह (चिन्हों को) जो पहले ही किसी व्यक्ति या विभाग के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्टर करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । वन मण्डल अधिकारी किसी चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण से इन्कार कर सकेगा, जो उसके अनुसार सरकारी विभाग द्वारा प्रयुक्त चिन्ह (चिन्हों को) से मिलता जुलता है या किसी अन्य व्यक्ति(यों) के पक्ष में रजिस्ट्रीकृत हुआ है।

5. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना.**––प्रत्येक व्यक्ति को जारी किए गए उसके चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण–पत्र में, रजिस्ट्रीकरण की तारीख, अवधि, जिसके लिए यह विधिमान्य है और फीस के संदाय की अभिस्वीकृति, प्रतिरूप या चिन्ह दर्शाया जाएगा ।

6. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की अवधि.**––रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा। प्रत्येक चिन्ह की बाबत रजिस्ट्रीकरण फीस पाचं सौ रूपए होगी और यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में रजिस्टर किए जाने वाले चिन्हों की संख्या तीन से अधिक हो जाती है, तो ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त चिन्ह के लिए फीस एक हजार रूपए होगी। तथापि किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई फीस संदेय नहीं है ।

7. **वन उपज के निर्यात या परिवहन के लिए पास जारी करना.**––कोई भी पास, ईंधन की लकड़ी, खैर की लकडी, बांस, चारकाले, औषधीय पौधे, घास, छाल, पत्ते, तना, जडें, फूल, फल, काने सहित पौधों के अन्य भाग और बीज, जिनके उपर कोई रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नहीं लग सकता है, से अन्यथा अचिन्हित वन उपज के लिए जारी नहीं किया जाएगा, जैसा कि इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित हैः––

(*i*) वन मण्डल अधिकारी निर्यात या परिवहन के लिए कोई पास जारी करने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है या किसी अन्य विधिमान्य कारण से, कि आवेदक ने वन उपज को वैध रूप से अभिप्राप्त नहीं किया है । तथापि, पास को जारी करने से इन्कार स्वतः आख्यापक अभिलिखित आदेश के रूप में किया जाएगाय और

(*ii*) व्यक्ति जिसे पास जारी करने से इन्कार किया गया है, वह इन्कार करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, सम्बद्ध क्षेत्र के प्रभारी मुख्य वन अरण्यपाल/वन अरण्यपाल को अपील कर सकेगा और अपील पर उसका आदेश अन्तिम होगा ।

8. **वन उपज के परिवहन को प्रतिषिद्ध करना.**––(1) कोई भी व्यक्ति भू–मार्गों द्वारा, उपाबन्ध 'घ' की अनुसची–। में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार प्राप्य और उसमें विनिर्दिष्ट पौधों की प्रजातियों से अभिप्राप्त के सिवाय, सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी या किसी अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति से पास अभिप्राप्त (उपाबन्ध–क) किए बिना, किसी वन उपज का परिवहन करना या परिवहन करवाना कारित नहीं करेगा ।

नियम 8 के प्रयोजन के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण.––वन मण्डल अधिकारी के अन्तर्गत मण्डल, जहां से संविदात्मक करार के अधीन वन उपज निकाली गई है, का प्रभार धारण करने वाला अधिकारी सम्मिलित होगा।

(2) उस वन उपज के मामले में, जो ऐसी प्रजातियों से अभिप्राप्त की गई है जिन्हें राज्य में लागू किसी विधि (अधिनियम, नियम या आदेश) के अधीन संग्रहण या कटान के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है या जिन पर पाबंदी लगाई गई है, कोई ऐसा पास जारी नहीं किया जाएगा सिवाय इसके कि जब ऐसा संग्रहण उस अधिनियम, नियम या आदेश में उपबन्धित विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया गया है।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी इमारती लकड़ी का, चिरान के लिए सम्परिवर्तन करने हेतु या मार्ग में विक्रय करने हेतु परिवहन नहीं करेगा या परिवहन कारित नहीं करवाएगा ।

(4) कोई भी व्यक्ति, ईंधन की लकड़ी, लुगदी की लकड़ी, बांस और उपाबन्ध–घ की अनुसुची–1 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार, प्राप्य और उसमें सूचीबद्ध पौधों की प्रजातियों से अभिप्राप्त के सिवाय किसी भी इमारती लकड़ी का परिवहन नहीं करेगा या परिवहन कारित नहीं करवाएगा जब तक कि इमारती लकड़ी पर

सम्बद्ध वन अरण्यपाल द्वारा प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा निर्यात हथौड़ा (हैमर) का चिन्ह (हैमर मार्क) समुचित रूप से नहीं लगाया गया हो ।

9. परिवहन मार्ग ओरेर अन्य शर्तें.––(1) पास जारी करने वाला प्राधिकारी एक मार्ग विनिर्दिष्ट करेगा केवल जिसके द्वारा ही वन उपज का हिमाचल प्रदेश से बाहर निर्यात के लिए परिवहन ऐसी रीति में हो कि वह वन उपज, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा स्थापित निम्नलिखित बैरियरों में से किसी एक से होते हुए गुजरे (पार हो) :––

क्रम संख्या	जिला/राजस्व जिला	बैरियरों का नाम
1.	सोलन	1. परवाणू,सैक्टर–IV 2. परवाणू (खास) 3. टिपरा–बाई पास (परवाणू)
2.	बददी, बरोटीवाला नालागढ, बददी	1. गुल्लरवाला, 2. धबोटा 3. नवगांव 4. बघेरी 5. गोरखनाथ मन्दिर, गोरखनाथ–शाहपुर मार्ग पर 6. झाड़ माजरी मार्ग–बलाड नदी वाया सनसिटी पुल (बद्दी पुल) 7. नानकपुर–कालू झंडा–मधाला मार्ग (मधाला चौक पर) 8. रामपुर जग्गी ट्रक यूनियन बरोटीवाला मार्ग (ट्रक यूनियन के नजदीक) 9. रतयोर 10. बद्दी 11. ढेरोवाल 12. बरोटीवाला
3.	सिरमौर	1. काला अम्ब 2. बैहराल 3. गोबिन्दगढ़ 4. हरिपुर खोल 5. सुकेती–खजुराना मार्ग पर सुकेती 6. रूचिरा मार्ग पर पेपर मिल के नजदीक 7. मीरपुर कोटला–नाहन मार्ग पर मीरपुर कोटला 8. खेरी मार्ग पर खेरी 9. यमुना नदी–पांवटा साहिब में रामपुर घाट 10. खोदरी माजरी 11. मिनस
4.	शिमला	1. कुड्डू
5.	बिलासपुर	1. गरमौरा 2. कौंलावाला टोबा 3. ग्वालथाई 4. बस्सी–श्री नैना देवी मार्ग पर शैलांघोड़ा
6.	नूरपुर (राजस्व जिला)	1. कण्डवाल 2. भदरोया(लोधवां) कण्डवाल मार्ग पर भदरोया 3. संसारपुर टैरेस 4. शेखुपुरा चौक शैखुपुरा नंगल भूर रोड 5. ओडर नजदीक सुयाली–दुनेहरा मार्ग तहसील नूरपुर 6. शनेहर–स्थाना गागीर मार्ग (नाम परिवर्तित)

		7. बेला ठाकरा नजदीक पुल न0 आर डी 7910 8. ढांगूपीर 9. उलेहरियां चौक 10. जम्मू–कांगड़ा मार्ग पर नक्की चौक 11. मिरथल मार्ग काठगढ़
7.	ऊना	1. मैहतपुर 2. गगरेट 3. मारवाड़ी 4. पण्डोगा 5. अजौली 6. पोलियां 7. गोंदपुर जयचन्द 8. बसदेहरा 9. भटोली 10. बाथू 11. संतोखगढ़ गढ़ भकर मार्ग पर 12. को–आपरेटिव बिल्डिंग के समीप बाथरी 13. सिंघान–बीटन मार्ग पर सिंघान 14. जैजोन–जनानी मार्ग पर जैजोन 15. गगरेट परिक्षेत्र में (आशा देवी मन्दिर के नजदीक) अम्बोटा मार्ग
1.	चम्बा	तुन्नुहटटीः

परन्तु ऐसा प्राधिकारी पड़ताल चौकी (चौकियों) को भी विनिर्दिष्ट करेगा, जहां वन उपज की मार्ग में अनिवार्यतः पड़ताल की जाएगी :

परन्तु यह और कि किसी वन डिपू या मध्यवर्ती डिपू या प्रेषण के प्रथम स्टेशन/डिपू से किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज का यानों, ट्रालियों, बैल गाड़ियों आदि में सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व लदान नहीं किया जाएगा । सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी, सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व वन उपज के संचलन को नियंत्रित करने के लिए यदि औचित्यपूर्ण हो, तो कोई और निर्बन्धन अधिरोपित कर सकेगा।

(2) यदि वन उपज का हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात नहीं किया जाना है, तो पास जारी करने वाला प्राधिकारी मार्ग विनिर्दिष्ट करेगा, केवल जिसके द्वारा ही वन उपज का परिवहन किया जा सकेगा और पड़ताल चौकी (चौकियां) का अवधारण भी करेगा, जहां पर इसकी अनिवार्यतः पड़ताल की जाएगी ।

(3) जारी करने वाला प्राधिकारी उन अन्य शर्तों को भी अवधारित करेगा, जिनके अध्यधीन पास जारी किया जाएगा और वह अवधि भी अवधारित करेगा जिसके लिए पास विधिमान्य रहेगा । तथापि, किसी पास की विधिमान्यता, किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई विस्तार अनुज्ञात करने सहित, छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगी। ऐसे पास को जारी करने के लिए सौ रूपए की फीस उद्ग्रहणीय होगी :

परन्तु हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर निर्यात किए जाने वाले बिरोजा की दशा में, दो सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से निर्यात फीस उद्गृहीत की जाएगी :

परन्तु **उपाबन्ध–घ की अनुसुची–II** में सूचीबद्ध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज की दशा में अनुज्ञापत्र फीस इसमें यथाविनिर्दिष्ट ही होगी :

परन्तु **उपाबन्ध–घ की अनुसुची–II** में सूचीबद्ध सहित **उपाबन्ध–घ की अनुसुची–III** में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार प्राईवेट भूमि पर उगाई गई प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज की दशा में अनुज्ञा पत्र फीस सौ रूपए होगी :

परन्तु यह और कि **उपाबन्ध–घ की अनुसुची–II** में यथा सम्मिलित औषधीय पौधों की बाबत, जिनका परिवहन अधिसूचित जड़ी–बूटी (हर्बल)/कृषि मण्डियों को किया जाना आभयित है, अनुज्ञापत्र फीस **उपाबन्ध–ङ** में वर्णित प्रक्रिया की अनुसार उद्गृहीत की जाएगी ।

10. चालान (चालानों) का जारी किया जाना.––व्यक्ति जिसके पक्ष में पास जारी किया गया है, या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता यदि एक ही बार में वह सम्पूर्ण वन उपज का परिवहन नहीं कर सकता है और वन उपज के साथ पास नहीं ले जा सकता है, तो वह वन उपज के साथ चालान (उपाबन्ध–ख) रखेगा । चालान अधिकतम साठ घण्टे के लिए विधिमान्य होगा ।

11. पड़ताल चौकी (चौकियों) स्थापित करना.––(1) वन मण्डल अधिकारी, अरण्यपाल की अनुज्ञा से, वन उपज की पड़ताल और जांच के प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थान (स्थानों) पर पड़ताल चौकी या पड़ताल चौकियों की स्थापना अधिसूचित कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक पड़ताल चौकी पर, पड़ताल चौकी से जाने वाली वन उपज के ब्यौरे अभिलिखित करने के लिए रजिस्टर (उपाबन्ध–ख) रखा जाएगा ।

12. जांच के लिए पास/चालान का प्रस्तुत करना.––वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, वन उपज का परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति से, किसी भी समय ऐसी उपज का परिवहन करने के लिए यथा जारी पास/चालान को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा। कोई व्यक्ति पास/चालान, जिसे वह स्वयं धारित नहीं करता है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के पास है या किसी और के पास होने का कथन किया गया है, के आधार पर वन उपज का परिवहन करने का हकदार नहीं है।

13. वन उपज और अन्य वस्तुओं आदि को निरूद्ध करना.––पास/चालान को प्रस्तुत न किए जानेकी दशा में वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, वन उपज, यान, उँट, खच्चर आदि, जिसके द्वारा इसका परिवहन किया जा रहा था, को निरूद्व कर सकेगा तथा उसका संचलन तब तक कारित नहीं होने देगा जब तक वन उपज की युक्तियुक्त रूप से आवश्यक जांच न कर दी जाए या जब तक विधिमान्य पास/चालान प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है ।

14. वन उपज और अन्य वस्तुओं आदि का अभिग्रहण.––पास/चालान को प्रस्तुत न किए जाने की दशा में वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, वन उपज और परिवहन के साधनों तथा अन्य वस्तुओं का प्रवृत्त विधि के अनुसार अभिग्रहण करेगा ।

15. अधिकार धारकों को पास अभिप्राप्त करने की छूट.––इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात को होते हुए भी अधिकार धारक जिसने अपने अभिलिखित अधिकारों के प्रयोग में वन उपज का संग्रहण किया है, उस राजस्व सम्पदा के भीतर, जिसमें इसे इस प्रकार संगृहीत किया गया है, पास को अभिप्राप्त किए बिना ऐसी वन उपज का परिवहन कर सकेगा :

परन्तु वन से किसी भी ईमारती लकड़ी को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि इसकी पड़ताल न की गई हो और इस पर हथौड़ा चिन्ह (हैमर मार्क) न लगाया गया हो तथा इस निमित्त प्राधिकृत वन अधिकारी द्वारा, निकाली गई ईमारती लकड़ी का ब्यौरा, अनुज्ञापत्र के दूसरी ओर न लिखा गया हो ।

16. रेल द्वारा, डाक द्वारा और विमानपत्तन द्वारा वन उपज की बुकिंग का वर्जन.–– कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के भीतर किसी रेलवे स्टेशन से रेल द्वारा या किसी डाकघर से डाक द्वारा या किसी विमानपत्तन से हवाई सेवा द्वारा तब तक किसी वन उपज का निर्यात करने के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा, जब तक कि यह इन नियमों के अधीन जारी पास के अन्तर्गत न आता हो और न ही रेलवे, डाक, विमानपत्तन प्राधिकरण रेल, डाक या हवाई सेवा द्वारा तब तक किसी वन उपज का परिवहन/पारेषण करने के लिए स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि इसके साथ विधिमान्य पास न हो ।

17. चिन्हों का परिवर्तन करने या विरूपण करने का वर्जन.––कोई भी व्यक्ति वन मण्डल अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी वन उपज पर लगाए गए किसी चिन्ह को अभिवहन के दौरान न तो परिवर्तित करेगा या न ही विरूपित करेगा या न ही मिटाएगा ।

18. नियमों के भंग के लिए शास्ति.——कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और परिवहन की जा रही वन उपज भी अभिग्रहण की जा सकेगी तथा उस से भारतीय वन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बरता जाएगा :

परन्तु उन मामलो में, जहां अपराध, सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्योदय से पूर्व किया जाता है या विधिपूर्ण प्राधिकारी के प्रतिरोध के पश्चात् या जहां अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी दोषसिद्ध है, शास्तियां दोगुनी हो जाएंगी ।

19. निरसन और व्यावृत्तियां.——(1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को और से हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट प्रॉडयूस ट्रैंजिट (लैंड रूट्स) रूल्ज, 1978 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

————————

उपाबन्ध 'क'

वन विभाग,
हिमाचल प्रदेश

वन उपज के निर्यात या परिवहन हेतु पास

(नियम–8 देखें)

वन मण्डल———————————————————————— से

क्रम संख्या—————————————————————————

मूल प्रति/दूसरी प्रति/तीसरी प्रति/चौथी प्रति

पास संख्या———————————————तारीख——————

1. व्यक्ति (यों), जिसे (जिनको) पास प्रदान किया गया है का
   नाम और पूरा पता—————————————————————
2. जारी करने की तारीख———————————————————
3. पास के अन्तर्गत आने वाली वन उपज——————————————
   (पन्ने के दूसरी ओर ब्यौरे/संलग्न तथा कार्यालय मुद्रा के अधीन प्रतिहस्ताक्षरित)
4. मार्ग, जिसके (जिनके) द्वारा वन उपज का परिवहन किया जाएगा————
5. जहां से अभीप्राप्त की है——————————
6. जिस स्थान को प्रेषित की गई है————————
7. अनुज्ञापत्र के अवसान की तारीख—————————
8. सम्पत्ति चिहन————————————

टिप्पणः——(1) उत्तरी रेलवे के हिमाचल प्रदेश में किसी रेलवे स्टेशन से वन उपज के रेल द्वारा आरक्षित किए जाने की दशा में, सम्बद्ध स्टेशन मास्टर कृपया और पड़ताल सुकर बनाने हेतु पास के पीछे तारीख और मंजिल सहित इस प्रकार आरक्षित काष्ठ या अन्य किसी वन उपज की मात्रा पृष्ठांकित कर सकेगा ।

(2) अनुज्ञापत्र (पास) के अवसान के पश्चात् प्राप्तिकर्ता कृपया रिपोर्ट करेगा कि क्या इसका उपयोग पूर्णतः या भागतः किया गया है ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल
(कार्यालय की मुहर लगाई जानी है)

संख्याः तारीखः——————————

1. परिक्षेत्र अधिकारी को उसकी रिपोर्ट संख्या—————————————————————— तारीख—————————— के सन्दर्भ में सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

2. प्रभारी, पड़ताल चौकी———————————————— को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु (प्रत्येक पड़ताल चौकी को पृथकत प्रति जारी की जानी है)

3. श्री / मैसर्ज—————————— को सूचना ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल

——————

उपाबन्ध 'ख'

चालान प्ररूप
(नियम 10 देखें)

क्रम संख्या—————————————————— चालान संख्या——————————————————
तारीख———————————————— द्वारा———————————— वन मण्डल अधिकारी (डीएफओ) वन मण्डल———————————— के पक्ष में जारी ।
जारी करने की तारीख और समय ————————————————————————————
अवसान की तारीख और समय——————————————————————————————

एसपीपी	ईमारती लकड़ी के ब्यौरे विवरण संख्या	घन मीटर में आयतन	ईंधन लकड़ी / चारकोल क्विंटल में	अन्य वन उपज विवरण
1	2	3	4	5

टिप्पणियां
सम्पत्ति चिहन
निर्यात हथौड़ा चिहन (हैमर मार्क)

——

——

उपज के प्रभारी व्यक्ति का नाम————————————————————————————

पदनाम——

पड़ताल चौकी(यां) (बारास्ता)————————————————————————————

(चालान की एक प्रति, प्रत्येक पड़ताल चौकी को भेजी जानी है)

यान (प्रकार और संख्या आदि————————————————————————————)

प्राप्तिकर्ता या प्राधिकृत

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

————————

उपाबन्ध–'ग'

(नियम–II देखें)

ईमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के निर्यात का रजिस्टर

———————— पड़ताल चौकी पर————————————

1. अनुज्ञापत्र धारक का नाम और पूरा पता————————————————————————
2. अनुज्ञापत्र का जारीकर्ता प्राधिकारी————————————————————————
3. परिवहन/निर्यात किए जाने हेतु अनुज्ञात ईमारती लकड़ी या अन्य वन उपज के पूर्ण ब्यौरे सहित अनुज्ञापत्र संख्या और जारी करने की तारीख————————————
4. अनुज्ञापत्र के अवसान की तारीख————————————————
5. सुभिन्न सम्पत्ति या खुदान चिहन ————————————————
6. उत्पत्ति का स्थान/जहां से लाई गई है————————————
7. जिस स्थान को प्रेषित की गई/गंतव्य स्थान
8. परिवहन हेतु विनिर्दिष्ट
   (*i*) मार्ग और————————————————————
   (*ii*) परिवहन हेतु विनिर्दिष्ट पडत़ाल चौकी(कियां) ————————————————————

बही संख्या/चालान संख्या

ईमारती लकड़ी या अन्य उपज का विवरण

क्रम संख्या	निर्यात की तारीख	मात्रा			परिवहन की गई वाहित मात्रा का चालू जोड	चालान की तारीख द्वारा परिवहन की गई/निर्यात की गई	परिवहन की रीति आदियान संख्या
		संख्या	आयतन	भार			
1	2	3	4	5	6	7	8
ईमारती लकड़ी या अन्य वन उपज के प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर	कर्मचारी के पदनाम सहित हस्ताक्षर	निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणियां				
9	10	11	12				

उपाबन्ध–'घ'

अनुसूची–I

(नियम 8 (1) देखें)

प्राईवेट भूमि पर उगने वाली और अभिवहन पास की अपेक्षा से छूट प्राप्त निम्नलिखित पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज

क्रम संख्या	वानस्पतिक नाम	स्थानीय / व्यापार नाम
1.	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रिक्टस / डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी / बेम्बुसा न्युटेन्स / बी0बैम्बूज	बैम्बू क्लमस / लाठी बांस / मग्गर / धरेंच / बां
2.	साएसयूरिया कोस्टस(एस0लप्पां)	कुठ
3.	बनियम परसिकम	काला जीरा

तथापि कुठ (साएसयूरिया कोस्टस (एस0लप्पां)का निर्यात वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अपेक्षा को पूर्ण करने के अध्यधीन होगा ।

इस अनुसूची में सूचीबद्व और प्राईवेट भूमि में उगने वाली पौध प्रजातियों से अभिप्राप्त वन उपज का हटाया जाना और परिवहन करना निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार होगा :

(*i*) भूस्वामी स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी को फसल प्रारम्भ होने से पूर्व प्राप्ति के प्राक्कलन सहित, अनुसूची में सूचीबद्ध पौध प्रजातियों से वन उपज एकत्र करने की अपनी आश्य लिखित में सूचित करेगा ।

(*ii*) वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उस भूमि का, जिससे ऐसी फसल एकत्र की जानी प्रस्तावित है, निरीक्षण कर सकेगा और प्राप्ति सत्यापित करेगा ।

(*iii*) वन परिक्षेत्र अधिकारी, भसू वामी को प्राईवेट भूमि से अभिप्राप्त वन उपज के ब्यौरे देते हुए पत्र जारी करेगा ।

(*iv*) भूस्वामी इस पत्र को सत्यापित की गई उपज के परिवहन के दौरान साथ ले जाएगा ।

———————

अनुसूची–'2'
नियम 9 (3)देखें

वन उपज और उस पर अनुज्ञप्ति फीस की सूची

क्रम सं0	वानस्पतिक नाम	स्थानीय / व्यापार नाम	पौधे का भाग	अनुज्ञापत्र / पास फीस रूपए / क्विंटल में
1.	एविज स्पैक्टाबीलिज / ए पिंड्रो	तालिस पत्रा	सुईया / पत्ते	125
2.	अकेशिया कटेचू	खैर	क) अन्तकाष्ठ / टुकड़े ख) खैर, लटठा (छाल सहित)	250 175

3.	एकोनाईटम डाइनोराइज्म	वतसनाभ / मोहरा	कन्द	7,500
4.	एकोनाईटम हेटेरोफाईलम	अतिस / पतीस / कड़वी पतीस	कन्द	5,000
5.	एकोनाईटम वाईलेसियम	मीठा तेलिया / मीठा पतीस	कन्द	1,000
6.	एकोरस कैलेमस	बच / बरे / घोड़ बच	प्रकन्द	150
7.	अढाटोडा जैलानिका / अ0 वैसिना	बसूटी / वंसा	पत्ते	125
8.	एडियेंटम लूनूलेटम	डंगतूली / हंसराज	पत्ता / पूर्ण	125
9.	एगल मारमेलौस	बिलगिरी	फल	500
10.	एसक्यूलस इंडिका	खनौर	फल / बीज	150
11.	एनसलीय अपटेरा	सतजलोरी	जड़ें	150
12.	अजूगा विक्टियोजा	नीलकंठी	पत्ते	125
13.	एलनस निटिडा	कोशकोन	सूखे शंकुफल	150
14.	एंजेलिका गलौका	चौरा	जड़ें	150
15.	आरक्टियम लापा	जंगली कुठ	जड़ें	125
16.	अरनेबिया यूक्रोमा / ए बैनथामी	रत्नजोत	जड़ें	200
17.	आरटेमिजिया ब्रेविफोलिया	सेस्की	पुष्पण अंकुर	125
18.	एसपैरागस एडसेंन्डैन्स	शतावरी / संस्पाई / सफेद मूसली	जड़–कन्द	200
19.	एट्रोपा एक्यूमिनेटा	बेलाडोना / झरका	पत्ते	125
20.	बरबैरिस प्रजाति	कशमल / दारु हल्दी	जडें / तने	200
21.	बर्जीनियां सिलियेटा / ब0 सट्रैची	पाषांनभेद / पत्थर चट	जड़ें	150
22.	बेटूला यूटीलिस	भोजपत्र / बर्चपाईन	छाल सूखे शुंक	500 200
23.	बनियम परसिकम	काला जीरा	फल	2,000
24.	केरम कारवी	शिंघू जीरा	फल	1,000
25.	सेडरस देवदारा	देवदार रोजैट	सूखा शंकुफल भाग	150
26.	सिनामोमम तमाला	तेजपत्र	पत्ते	500
27.	कोलेबरुकिया अपोजिटी फोलिया	भिंडी फूल	पत्ते / जड़ें	125
28.	कोलियस ऐरोमैटिक्स	पठानबेल	पत्ते / बीज	30
29.	करक्यूमा एंगस्टीफोलिया	वन हल्दी	प्रकन्द	150
30.	डैकटाईलोरिजा हैटागेरिया	सालम पंजा / हाथ पंजा	जड़ कन्द	6000
31.	डायस्कोरिया डेल्टोडिया	सिंगली मिंगली / किंस	जड़ें	900
32.	एंम्बलिका ऑफिसीनैलिस	आंवला	फल	150
33.	एफेडरा जरेरडियाना	सोमलता	टहनियां	200
34.	फ्रिटीलेरिया रोयली	वन लहसून / मूशटंडा	कन्द	10,000
35.	जरेनियम नेपालैन्स	लाल जरी / रक्त जरी	जड़ें	125
36.	जिरारडियाना डायवरसीफोलिया	बीच्छू बूटी	जड़ें	150
37.	हैडिसियम एक्यूमिनेटम	कपूर कचरी / कचूर / वन हल्दी	जड़ें	100
38.	हैराक्लियम कैडिकैंस, है0 लैनेटम	पतीशान / पटराला	जड़ें	100
39.	हायोसाईमस नाईजर	खुरासनी अजवायन	बीज / पत्ते	150
40.	हाईपैरिक्म पैटूलम / हा0 परफोरेटम	खरैरा / बसंत	पूर्ण पौध	250

41.	हाईसोपस ऑफिसिनैलिस	जूफा	पुष्पण टहनियां	500
42.	आईरिस जरमैंनिका	सफेद बच्च	प्रकन्द	125
43.	जुगलस रिजिया	अखरोट / खोड़	छाल	1,000
44.	जूनिपरस कौमूनिस	होबर	बदरियां (बेरीज)	250
45.	जूनिपरस रिकरवा / जू0 मैक्रोपोडा	बेथर पता	पत्ते	150
46.	जूरिनियां मेक्रोसिफाला जू0 डोलोमियां	धूप / गूगल धूप	जड़ें	500
47.	लाईकेंस	छलोरा / छरिला / झूला / मेंह दी / स्टोन फलावर	थैलस	500
48.	मैंथा लोंगीफोलिया	जंगली पुदीना	पते	125
49.	मौरशेला एसक्यूलेंटा	गुच्छी / चेंऊं	फलदार भाग	10,000
50.	मौसेज	हरी मौस घास	थैलस	250
51.	मुराया कोनिग्याई	मीठा नीम	पत्ते	150
52.	मिरिका एसक्यूलेंटा	काफल	छाल	200
53.	नारडोसटैकिस ग्रेंडिफलोरा	जटामानसी	जड़ें	1,000
54.	औरिगैनम वलगेर	वन तुलसी	पत्त	150
55.	औरोग्जाईल्म ईडिकम	शयोनक, टाटपलंगा	छाल / फली	125
56.	पैरिस पोलीफाईला	दुधिया वाच / सत्वा	प्रकन्द	200
57.	पिक्रोराइजा कुरुवा	कडू / कूटकी	प्रकन्द	1,000
58.	पाईनस जेरारडियाना	चिल्गोजा / न्योजा	बीज	1,000
59.	पाईनस रोक्सब्रगाई	चीलकोन	सूखे शंकुफल सूखी सुईयां	1,000 5
60.	पाईनस वॉलिचियाना	कैल कोन	सूखे शंकुफल	1,000
61.	पिस्टेसिया इन्टेजेरिमा	कक्कड़ सिंगी	पत्ता / वृक्षव्रण	1,000
62.	पोडाफाइल्म हैक्सेंडरम पो0 ईमोडी	वन कक्कड़ी	फल जड़ें	250 450
63.	पोलीगोनेटम प्रजाति	सालम मिसरी मेदा / महा मेदा	प्रकन्द	1,000
64.	पोटेन्टिला नेपालैंसिज	डोरी घास	जड़ें	125
65.	प्रुनस सैरासोएडस	पाजा / पदम / पदमाकाष्ट	काष्ठ	125
66.	प्यूनिका ग्रैनेटम	दाडू / अनार	फल / बीज	500
67.	पायरस पेशिया	कैंथ / शेगल	फल	125
68.	राओवोलफिया सरपेंन्टिना	सर्पगंधा	जड़ें	500
69.	रियम प्रजाति(रि0 ओस्ट्रेल=रि0 ईमोडी / रि0 सपैसिफोरम)	रैवांदचीनी	जड़ें	200
70.	रोडोडैडंरोन एन्थौपोगोन	तालिस पत्रा	पत्ते	125
71.	रोडोडैडंरोन आरबोरियम	ब्रास / बूरा	फूल	150
72.	रोडोडैडंरोन कैम्पेन्यूलेटम	कश्मीरी पत्ता	पत्ते	150
73.	सालविया मूरकरोफटियाना	टूठ	जड़ें	200
74.	सेपिंडस म्यूकोरोसी	रीठा / डोडे	फल	150
75.	सौसूरिया कोस्टस / स0 लापा	कुठ	जड़ें	300
76.	सेलीनम प्रजाति(से0 वैजिनेटम / से0 टेन्यूईफोलियम)	भूतकेसी	जड़ें	400
77.	स्वरशिया प्रजाति	चिराता	पूर्ण पौधा	700
78.	टाराक्सकम ऑफिसिनेल	दूधी / डेंडिलियोन	जड़ें	125
79.	टेक्सस वॉलिचियाना=टे0	बीरमी / थूना / रखाल	सुईयां	600

	बैकाटा			
80.	टरमिनेलिया बैलेरिका	बहेड़ा	फल	300
81.	टरमिनेलिया चैबूला	हरड़	फल	500
82.	थैलिक्टरम फोलियोलोसम	ममीरी	जड़ें	350
83.	थाईमस सरपाईल्म	वन अजवायन	वायवीय भाग(जड़ी–बूटी)	125
84.	टिनोस्पोरा कौडिफोलिया	गिलोय/गडूची	तने	125
85.	तूना सिलियेटा/सेडरैला तूना	बड़ी फूल	सूखे फल	125
86.	ट्राईलिडियम गोवेनियेनम	नाग छतरी	जड़ें/प्रकन्द	8,000
87.	वैलेरियाना प्रजाति	मूश्कबाला/तगर/निहानू	जड़ें/प्रकन्द	600
88.	वायोला प्रजाति	बनफसा	फूल/वायवीय भाग	2,250
89.	विथानिया सोमनिफेरा	अश्वगन्धा	जड़ें	200
90.	वुडफोर्डिया फ्रूटीकोजा	धतकी/धई	फूल	150
91.	जैन्थोजाइल्म आरमेटम	तिरमिर	फल/बीज	250
	अन्य समस्त गैर काष्ठ वन उपज जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं हैं।			100

अनुसूची–3
(नियम 9 (3) देखें)

उत्पादको के रजिस्ट्रीकरण, प्राईवेट भूमि पर औषधीय पौधों की खेती ओर इस प्रकार अभिप्राप्त वन उपज के परिवहन से सम्बन्धित साधारण उपबन्ध

क. औषधीय पौधों की खेती के लिए उत्पादकों का रजिस्ट्रीकरण :

1. अपनी प्राईवेट भूमि पर अनुसूची–II में सूचीबद्ध औषधीय पौधों की खेती करने (उगानें) का आश्य रखने वाला/ वाली प्रत्येक उत्पादक सम्बद्ध वन मण्डल अधिकारी (डी0एफ0ओ0) के पास सौ रूपए की रजिस्ट्रीकरण फीस सदं त्त करके स्वयं का रजिस्ट्रीकरण करवा सकेगा/सकेगी। इस प्रयोजन के लिए उत्पादक, सम्बद्ध खण्ड के उप परिक्षेत्र अधिकारी को अनुसूची–3 (क) में दिए गए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण फीस सहित, द्विप्रतीक में पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा जो, (*i*) आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति के पश्चात्, उत्पादक को एक प्रति वापस करेगा, और (*ii*) आवेदन को सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी (आर0एफ0ओ0) को, वन मण्डल अधिकारी (डी0एफ0ओ0) के पास, रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत करेगा। रजिस्ट्रीकरण के पश्चात, वन रक्षक अनुसूची–3 (ख) में दिए प्रपत्र में आवेदन को प्रस्तुत करने के एक मास के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र सौंपेगा ।

2. आवेदक, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा प्रस्तुत करेगा, यदि भूमि उसके नाम नहीं है ।

3. रजिस्ट्रीकरण केवल उन्हीं प्रजातियों की बाबत विधिमान्य होगा, जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है ।

4. रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और तत्पश्चात् पुनः रजिस्ट्रीकरण करवाना आवश्यक होगा ।

ख औषधीय पौधों की खेती :

1. उत्पादक, स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से सम्बद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी (आर0एफ0ओ0) को उसके द्वारा अपनी प्राईवेट भूमि पर खेती किए गए (उगाए गए) औषधीय पौधों की प्रजातियों के बारे में उनकी बुआई करने/पौध लगाने के एक मास के भीतर, सूचित करेगा।

2. उत्पादक केवल प्रमाणित स्त्रोतों से ही खेती के लिए बीज/जनन–द्रव्य प्राप्त करेगा और उनका वन्य स्त्रोतों से तब तक संग्रहण नहीं करेगा/नहीं हटाएगा, जब तक कि वन मण्डल अधिकारी द्वारा लिखित में अनुज्ञात न कर दिया जाए ।

3. उत्पादक उस वर्ष के राजस्व अभिलेख में औषधीय पौध की खेती वाली भूमि के खसरावार ब्यौरे दर्ज करवाएगा ।

4. वन परिक्षेत्र अधिकारी (आर0एफ0ओ0) या उसका प्रतिनिधि, औषधीय पौध खेती वाले खेतों का पक्वनावधि के दौरान दौरा कर सकेगा और ऐसी फसल की मात्रा और गुणवत्ता को प्रमाणित करेगा ।

5. उत्पादक, स्थानीय वन रक्षक के माध्यम से वन परिक्षेत्र अधिकारी (आर0एफ0ओ0) को खेती के समय के बारे में (*i*) कम से कम एक मास पूर्वोत्तर और (*ii*) फसल काटने के तुरन्त पश्चात् सूचित करेगा ।

6. उत्पादक, अपनी भूमि पर औषधीय पौधों की खेती–बाड़ी से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख वन परिक्षेत्र अधिकारी (आर0एफ0ओ0) या उसके प्रतिनिधि को खेती के सत्यापन को सुकर करने के लिए उपलब्ध करवाएगा ।

ग. खेती के स्त्रोतों से अभिप्राप्त उपज का परिवहन :

1. उत्पादक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि, इन नियमों के अधीन वन मण्डल अधिकारी (डी0एफ0ओ0) से आवश्यक अभिवहन पास अभिप्राप्त करने के पश्चात् सामग्री का परिवहन करेगा ।

2. खेती की उपज का परिवहन करने के अन्य विनियम, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार होंगे ।

घ. उपबन्धों के उल्लंघन के लिए शास्ति इत्यादि :

इस उपाबन्ध में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उपज अभिगृहीत कर ली जाएगी और आगामी कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी ।

———————

अनुसूची–III (क)
(अनुसूची–III देखें)

(उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र)

आवेदक का नाम :
पताः
पंचायत का नाम :
भूमि के ब्यौरे (राजस्व कागजात की प्रति संलग्न करें) :
खसरा नम्बर :
कुल क्षेत्र :

खेती किए जाने (उगाए जाने) के लिए प्रस्तावित औषधीय पौधों की प्रजातियां

क्रम संख्या	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम	स्थानीय नाम	बीज जनन–द्रव्य का प्रस्तावित स्रोत
1.			
2.			
3.			

आवेदेक द्वारा वचनबद्धताः हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्ग द्वारा) नियम, 2013 के उपाबन्ध–घ में अन्तर्विष्ट साधारण उपबन्धों को पढ़ने के पश्चात्, मैं दिए गए उपबन्धों के अनुसार औषधीय पौधों की प्रजातियों की खेती करने (उगानें) के लिए वचन देता हूं । मैं यह वचन भी देता हूं कि इन नियमों के अधीन किसी उपबन्ध के उल्लंघन की दशा में, मैं विधि के उपबन्धों के अधीन अपने विरूद्ध कार्यवाही के लिए दायी हूंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग हेतुः
आवेदन को प्राप्त हुआ

खण्ड अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर
कार्यक्षेत्र का नाम––––––––––
खण्ड का नाम–––––––
परिक्षेत्र का नाम––––––––––––
मण्डल का नाम––––––––––––

––––––––––––––––––को आर0एफ0ओ0 (वन परिक्षेत्राधिकारी) के कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुआ ।
–––––––––––––––– को डी0एफ0ओ0 (वन मण्डलाधिकारी) के कार्यालय में आवेदन प्राप्त हुआ।
रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख––––––––––––––––––––––––––

डी0एफ0ओ0 (वन मण्डलाधिकारी)के हस्ताक्षर
और मुहर

––––––––

अनुसूची–III(ख)
(अनुसूची–III देखें)

(उत्पादकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रमाण–पत्र का प्रपत्र)

रजिस्ट्रीकरण संख्या––––––––––तारीख––––––––––
श्री/श्रीमति––––––––––––––––––––सुपुत्र/सुपुत्री श्री––––––––––––––––––––––––
और निवासी–––––––––––––––––– जो ––––––––––––––––––– पंचायत के अधीन आता है, को उसके आवेदन तारीख––––––––––––––––––– के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों की बाबत खसरा नम्बर––––––––––––– के ––––––––––– बीघा क्षेत्र में उसकी प्राईवेट भूमि या पट्टे पर दी गई भूमि पर औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है :––

क्रम संख्या	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम	स्थानीय नाम
1.		
2.		
3.		

यह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष तक विधिमान्य है ।

रजिस्ट्रीकरण के निबन्धन और शर्तेः––रजिस्ट्रीकृत उत्पादक, सर्वथा हिमाचल प्रदेश वन उपज अभिवहन (भू–मार्ग द्वारा) नियम, 2013 से संलग्न उपाबन्ध–घ में अन्तर्विष्ट साधारण उपबन्धों के अनुसार इस प्रमाण पत्र में खेती के लिए अनुमत्त औषधीय प्रजातियों की खेती करने का वचन देगा। इन नियमों के किसी

उपबन्ध के उल्लंघन की दशा में रजिस्ट्रीकरण का यह प्रमाण–पत्र रद्द किए जाने के लिए दायी होगा और उल्लंघनकर्ता के विरूद्व विधि के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाएगी ।

वन मण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर
और मुहर

———————

उपाबन्ध–'ङ'

(नियम–9(3) देखें)

औषधीय पौधों बीज और विभिन्न एनटीएफपीज का अधिसूचित जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों को अभिवहन और उनकी बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत

1. इन नियमों की अनुसूची–''II'' के अधीन सूचीबद्व प्रजातियों में से, वन्य/खेतीहर भूमि से संगृहीत वन उपज को हिमाचल प्रदेश के भीतर अधिसूचित जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों (हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम और/या एपीएमसी द्वारा सचांलित) में परिवहन का आश्य रखने वाले व्यक्ति, 10/–रुपये की अनुज्ञप्ति फीस के साथ उपाबन्ध–ङ (I) (आवेदन प्ररूप की फोटो प्रति नीचे दी गई है) पर हर्बल मण्डियों के लिए ''पास'' जारी करने हेतु वन मण्डलाधिकारी (डी0एफ0ओ0) को आवेदन करेंगे । हर्बल मण्डी को परिवहन की जाने वाली ऐसी वन उपज पर कोई निर्यात फीस उदगृहीत नहीं की जाएगी ।

2. वन मण्डलाधिकारी, अपने क्षेत्रीय कर्मचारीवृन्द से वन उपज को सत्यापित करवाने के पश्चात् सत्यापन आवेदन की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर, ऐसे आवेदक को उपाबन्ध–ङ (2) पर जड़ी –बूटी (हर्बल) मण्डियों को 'पास' (ऐसे पास का आदि प्ररूप नीचे उपाबन्ध–ङ (2) में दिया गया है) जारी करेगा।

3. आवेदक, जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों को, पास की प्राप्ति के सात दिन के भीतर विक्रय डिपो को माल का परिवहन करेगा ।

4. इस प्रकार अधिसूचित जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों में लाई गई उपज को विक्रय डिपो प्राधिकारियों सम्बद्ध द्वारा विनिर्दिष्ट निलामी नियमों के अनुसार नीलामी के लिए रखी जाएगी ।

5. बिक्रय के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, सम्बद्ध वन मण्डलाधिकारी जिसकी अधिकारिता में जड़ी–बूटी मण्डी आती है, क्रेता(ओं) से इन नियमों के अधीन अनुसूची–II में विहित निर्यात फीस की वसूली के पश्चात् अनिवार्य अभिवहन पास जारी करेगा ।

———————

उपाबन्ध–ड.(I)

(उपाबन्ध–ङ देखें)

(अधिसूचित औषधीय पौधों/ उनके भागों को जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों में परिवहन किए जाने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पास जारी करने के लिए आवेदन)

आवेदक का नाम :

पताः

पंचायत का नाम :

विक्रय डिपुओं को परिवाहित की जाने वाली प्रजातियां

क्रम संख्या	प्रजातियों का नाम	स्थानीय नाम	भाग	मात्रा (क्विंटल में)	––––––(वन का नाम)...... ...... से संग्रहीत/(गांव का नाम) .... में खेती उगाई गई।
1.					
2.					
3.					

यदि खेती की गई तो रजिस्ट्रीकरण संख्या :

विक्रय डिपो का नाम :

आवेदक द्वारा वचनबद्धताः मैं प्रमाणित करता हूं कि सामग्री को विनियम और विहित प्रक्रिया के अनुसार संगृहीत किया गया है। मैं सामग्री को उपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार आवेदित गन्तव्य (स्थान)/जड़ी–बूटी मण्डी को सीधे परिवहन किए जाने का वचन देता हूं। मैं यह भी वचन देता हूं कि इस निमित्त मेरे द्वारा किसी उल्लंघन की दशा में, मैं इन नियमों के उपबन्धों के अधीन अपने विरूद्ध कार्यवाही हेतु दायी हूंगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

क्षेत्र कर्मचारीवृन्द (फील्ड स्टाफ) द्वारा सत्यापनः
सत्यापित किया जाता है कि:

1. उपरोक्त सामग्री को विनियम और विहित प्रक्रिया के अनुसार ही संगृहीत किया गया है।
2. आवेदक ने परिवाहित की जा रही उपज की बाबत कोई वन्य अपराध नहीं किया है ।
3. मैने ऊपर वर्णित वन्य उपज की गुणवत्ता और मात्रा की पड़ताल कर ली है और इसे सही पाया है ।
4. आवेदक के पक्ष में अनिवार्य पास की अनुशंसा की जाती है ।

बीटरक्षक (बीट गार्ड) के हस्ताक्षर :
खण्ड अधिकारी द्वारा सत्यापनः
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अनुशंसा :

––––––––––

उपाबन्ध–ङ–2

(नियम 9(3),(परन्तुक–3 देखें)

उपाबन्ध–'ङ देखें

अधिसूचित जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डियों को गैर ईमारती लकड़ी वन उपज (एनटीएफपी) के अभिवहन हेतु पास।

श्री/श्रीमति––सुपुत्र/सुपुत्री श्री––निवासी––––––––––––––––––––––

————————जो ———————————————— पंचायत के अधीन आता है, को उसके आवेदन तारीख———————————— के सन्दर्भ में निम्नलिखित प्रजातियों की बाबत औषधीय पौधों, बीज और विभिन्न एनटीएफपीज और उसके भागों को ——————— जड़ी–बूटी (हर्बल) मण्डी को परिवाहित करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है:——

क्रम संख्या	प्रजातियों के नाम	स्थानीय नाम	भाग	मात्रा (क्विंटल में)	से संग्रहीत.....गांव का नाम———————— में (खेती उगाई गई)।
1.					
2.					
3.					

वन रक्षक का नाम और हस्ताक्षर
बीट————————————————
खण्ड————————————————
परिक्षेत्र————————————————
मण्डल————————————————

प्रतिलिपिः आवेदक/परिक्षेत्राधिकारी/चैक पोस्ट/जड़ी –बूटी (हर्बल) मण्डी प्रभारी

आदेश द्वारा,
तरूण श्रीधर,
प्रधान सचिव (वन)।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-A*(3)-2/2013, *dated* 26*th November,* 2013 *as required under clause* (3) *of article* 348 *of the Constitution of India*]

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the* 26*th November,* 2013

No. FFE-B-A(3)-2/2013.—In exercise of the powers conferred under sections 41 and 42 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules to regulate the movement of Forest Produce by land routes into, from and within the territorial limits of the Himachal Pradesh, namely:—

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013;

(2) They shall apply to the whole of the State of Himachal Pradesh;

(3) They shall come into force forthwith;

2. ***Definitions.—*** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927);

(b) 'section' means a section of the said Act;

(c) 'Division' means an executive forest management unit of forests constituted for the purpose of administration of forests and notified as such by the Government;

(d) 'Divisional Forest Officer' means an Officer holding the charge of the concerned division;

(e) 'Conservator of Forests' means an Officer holding the charge of the concerned forest circle; and

(f) 'Check Post' means any post so specified under the provisions of these rules for checking and regulating the movement of forest produce.

(2) All other words and expression used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. ***Transportation with property mark(s).—*** No person shall transport or cause to be transported any forest produce other than fuelwood, Khairwood, bamboos, charcoal, medicinal plants***, grass, other plant parts including bark, leaves, stem, roots, flowers, fruits, cones,*** and seeds that does not bear the imprint of the registered mark.

4. ***Registration of property mark and its use.—*** *(1)* All persons willing to transport forest produce other than under rule 3 by land routes shall register at the office of the Divisional Forest Officer the mark or marks which indicate their propriety rights in such forest produce; provided that no mark is required to be imprinted on any timber which is being transported within the concerned revenue estate only by a right holder in consequence of a grant to that effect in his favour.

(2) No person shall be allowed to register any mark(s) already registered in favour of other persons or the Department. The Divisional Forest Officer may refuse registration of any mark (s) which according to him closely resemble(s) used by the Government Department or has/ have been registered in favour of some other person(s).

5. ***Issue of certificate of registration.—***A certificate showing the facsimile or the mark, the date of registration, the period for which it is valid and acknowledging the payment of fees shall be issued to every person registering his mark (s).

6. ***Validity period of registration Certificate.—***Every certificate of registration shall be valid for three years commencing from the date of registration. The registration fee in respect of each mark shall be Rs. ***500*** and if the number of marks to be registered in favour of one person exceeds three, the fee shall be Rs. ***1000/-*** for each such additional mark. However, no fee is payable by any Government Department.

7. ***Issue of pass for Export or transport of Forest Produce.—*** No pass shall be issued for any unmarked forest produce other than fuelwood, khairwood, bamboos, charcoal, medicinal plants, **grass, other plant parts including bark, leaves, stem, roots, flowers, fruits, cones** and seeds as bears the marks not registered as herein after provided:-

(*i*) the Divisional Forest Officer may refuse to issue a pass for export or transport if he has reasons to believe or for any other valid reasons that the forest produce has not been legally obtained by the applicant. However, the refusal to issue a pass shall be made in the shape of self speaking written order; and

(*ii*) the person who has been refused the issue of pass may within fifteen days of the date of refusal prefer an appeal to the Chief Conservator/Conservator of Forests incharge of the area concerned and his orders on appeal shall be final.

8. ***Prohibition on transport of Forest Produce.-*** (1) No person shall transport or cause to be transported any forest produce, except ***that obtained from plant species specified in and obtained in accordance with provisions contained in Schedule - 'I' of Annexure-D*** by land routes, without obtaining pass **(Annexure-'A')** from the concerned Divisional Forest Officer or any officer **or person** so authorized.

Explanation for the purposes of rule 8:—*Divisional Forest Officer shall include an officer holding the charge of the Division from where the forest produce has been extracted under contractual agreement.*

(2) No such pass shall be issued in case of forest produce obtained from species declared as prohibited or banned for collection or harvesting under any law (Act, Rule or Order) applicable in the State except when such collection is carried out as per specific provisions provided in that Act, Rule or order.

(3) No person shall transport or cause to be transported any timber for conversion for sawing or for sale en route.

(4) No person shall transport or cause to be transported any timber except firewood, pulpwood , bamboo ***and that obtained from plant species listed in and obtained in accordance with provisions contained in Schedule - 'I'*** **of Annexure –D** unless the timber is properly affixed with an export hammer mark by the forest officer authorized by the Conservator of Forests concerned.

9. ***Transport Routes and other conditions.—***(1) The authority issuing the pass shall specify a route by which *alone* the forest produce may be transported for export outside Himachal Pradesh in such a manner that the forest produce crosses through one of the following barriers established by the Excise and Taxation Department:—

Sr. No.	District/Revenue District	Name of barriers
1.	SOLAN	1. Parwanoo Sector-IV 2. Parwanoo (Main) 3. Tipra bye-pass (Parwanoo)
2.	B.B.N. Baddi	1. Gullarwala. 2. Dhabota. 3. Navgaon 4. Bagheri 5. Gorakhnath Mandir at Gorakhnath Shahpur road. 6. Bridge (Pul Baddi) at Jhar. Majri road Balad Nadi via Suncity. 7. Nanakpur-Kalu Janda Madala Road (at

		Madala Chowk). 8. Rampur Jaggi Truck Union Barotiwala Road (near Truck Union). 9. Ratyor. 10 Baddi 11 Dherowal 12. Barotiwala
3.	SIRMOUR	1. Kala Amb 2. Behral 3. Govindgarh. 4. Haripur Khol 5. Suketi on Suketi- Khajurana Road. 6. Near Ruchira Paper Mill on Ruchira Road 7. Meerpur Kotla on Meerpur Kotla-Nahan road 8. Kheri on Kheri Road 9. Rampur Ghat on Yamuna river- Paonta 10. Khodri Mazari. 11. Minus.
4.	SHIMLA	1. Kuddu
5.	BILASPUR	1. Garmaura 2. Kaulanwala Toba 3. Gwalthai. 4. Shailaghora on Bassi-Shree Naina Devi Road.
6.	NURPUR (Revenue District)	1. Kandwal 2. Bhadroya on Bhadroya (Lodhwan) Kandwal road 3. Sansarpur Terrace. 4. Shekupura Chowk Shekhupura Nangal bhoor Road. 5. Oader near Sulyali-Dunehra Road Tehsil Nurpur. 6. Shenehar-Sthana Gagir Road (Name changed). 7. Bela Thakra Near Pul No. RD 7910. 8. Dhangupeer. 9. Ulehrian Chowk. 10. Nakki Chowk on Jammu-Kangra Road. 11. Mirthal Road Kathgarh.
7.	UNA	1. Mahatpur 2. Gagret 3. Marwari 4. Pandoga 5. Ajouli. 6. Polian. 7. Gondpur Jaichand. 8. Busdehra. 9. Bhatoli. 10. Bathu. 11. Santokhgarh. 12.10. Bathri Near Co-op Society Building on Garh Shankar Road. 13. Singhan on Singhan- Beetan Road. 14. Jaijon-Janani on Jaijon-Janani Road. 15. Ambota Road (near Asha Devi Temple) in Gagret locality.

8.	CHAMBA	1. Tunuhatti.

Provided that such authority shall also specify the check post(s) where the forest produce shall be compulsory checked en-route:

Provided further that no timber or other forest produce from any forest depot or intermediate depot or first station/ depot of dispatch shall be loaded in vehicles, trollies, bullock carts etc. after sun-set and before sun rise. The Divisional Forest Officer concerned may further impose any restriction(s) if so warranted for controlling the movement of the forest produce after sun-set and before sun-rise.

(2) In case the produce is not to be exported outside the territory of Himachal Pradesh, the authority issuing the pass shall specify the route by which alone the forest produce may be transported and shall also determine the check post(s) where it shall be compulsory checked.

(3) The issuing authority shall also determine the other conditions subject to which the pass shall be issued and shall also determine the period for which the pass shall remain valid. However, the validity of any pass shall under no circumstances exceed a period of **Six** months including any extension(s) allowed. A fee of Rs. **100/-** shall be leviable for the issue of such pass:

Provided that the export pass fee @ Rs 200/- per quintal shall be levied in case of resin to be exported outside the State of Himachal Pradesh:

Provided that permit fee in case of forest produce obtained from species listed in **Schedule II of Annexure-"D",** shall be as specified in it:

Provided that permit fee in respect of forest produce obtained from species, including that listed in **Schedule-II of Annexure-"D",** cultivated on private land in accordance with provisions contained in **Schedule III of Annexure-'D'** shall be Rs. 100/-:

Provided further that in respect of medicinal plants as included in **Schedule-II of Annexure-'D'**, purported to be transported to the notified Herbal/ Agricultural Mandis, permit fee shall be levied in accordance with procedure detailed in **Annexure-"E".**

10. ***Issue of Challan (s).***—The person in whose favour the pass has been issued or his authorized Agent shall carry a challan **(Annexure- 'B')** to accompany the forest produce in case all the forest produce cannot be transported at the same time and the pass cannot accompany the forest produce. The challan will be valid for a maximum 60 hours.

11. Setting up of check post (s).—(1) The Divisional Forest Officer may with the permission of the Conservator of Forests notify the setting up of a check post or check posts at suitable point(s) for purposes of check and examination of forest produce.

(2) At every check post, registers **(Annexure-C)** to record the details of forest produce passing through the check post shall be maintained.

12. ***Production of pass/challan for examination.***—Forest Officer or Police Officer may at any time require any person transporting forest produce to produce the pass/challan as issued for

the transportation of such produce. No person is entitled to transport forest produce by virtue of pass/challan which he does not himself held but is or is stated to be in the hands of some other person.

13. ***Detention of Forest Produce and other articles etc.—*** In the event of the pass/challan not being produced, the Forest Officer or Police Officer may detain the Forest Produce, vehicle, camels, mules etc. by which it was being transported and cause the same not to move as long as may be reasonably necessary to examine the forest produce and/or till the valid pass/challan is produced.

14. ***Seizure of Forest Produce and other articles etc.—*** In the event of the pass/challan being not produced, the Forest Officer or Police Officer shall seize the forest produce and means of transport and other articles, in accordance with the law in force.

15. ***Exemption to right holders obtaining of pass.—*** Notwithstanding anything contained in these rules, a right-holder who has collected forest produce in exercise of his recorded rights may, without obtaining a pass transport such forest produce within the revenue estate in which it has been so collected:

Provided that no timber will be removed from the forests unless checked and hammer marked and detail of timber extracted written on the overleaf of the permit by the forest officer authorized in this behalf.

16. ***Bar on booking of forest produce by rail, by post and by air.—*** No. person shall offer any forest produce for export by rail on any railway station or by post at any post office or by air on any airport within Himachal Pradesh unless it is covered by the pass issued under these rules and nor Railway, Postal, Airport authority shall accept any forest produce for transport/transmission by rail, post or air, unless it is accompanied by a valid pass.

17. ***Bar on altering or defacing of marks.—***No person shall without the written permission of the Divisional Forest Officer alter or deface or obliterate any mark placed on any forest produce while in transit.

18. ***Penalty for breach of rules.—***Any person who contravene these rules shall be liable to imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to rupees Five thousand or with both and the forest produce being transported may also be seized and dealt with under the provisions of the Indian Forest Act:

Provided that the penalties will be doubled in cases where the offence has been committed after sun-set or before sun-rise, or after resistance to the lawful authority or where the offender has been previously convicted for similar offence.

19. Repeal and Savings.—(1) On and from the date of commencement of these rules, the Himachal Pradesh Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 1978 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

ANNEXURE 'A'

(*See* rule 8)

Forest Department
Himachal Pradesh

PASS FOR EXPORT OR TRANSPORT OF FOREST PRODUCE

From_____Forest Division.
Sr. No._____
(Original/ duplicate/triplicate/Quadruplicate)

Pass No._____Dated_____

1. Name and full address of the person(s) to whom the pass is granted
2. Date of issue
3. Forest Produce covered by the pass
   (Details overleaf/ attached and countersigned under office seal)
4. Route(s) by which forest produce will be transported.
5. Whence obtained.
6. Place to which consigned.
7. Date of expiry of permit.
8. Property Marks.

NOTE:—(1) In case of Forest Produce being booked by rail from any railway station in Himachal Pradesh of the Northern Railway the concerned Station Master may please endorse on the- back of the pass, the quantity of timber or any other Forest Produce so booked along with the date and the destination so as to facilitate further checking.

(2) After the expiry of permit (pass) the grantee will please report as to whether it has been availed of in full or in part.

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
_____FOREST DIVISION
(SEAL OF OFFICE TO BE AFFIXED).

No._____Dated_____

1. Range Officer_____ for information and necessary action with reference to his report No._____ dated_____

2. Incharge check post_____ for information and necessary action(copy for each check post to be issued separately).

3. Shri/M/S_____ for information and necessary action.

DIVISIONAL FOREST OFFICER,
_____FOREST DIVISION

ANNEXURE 'B'

(Challan Form)
(*See* Rule 10)

Sr. No._____ Challan No _____Date_____
issued by DFO Forest Division _____ IN FAVOUR OF_____

Date and Time of issue _____

Date and Time of Expiry_____

Spp.	Details of Timber Description No.	Vol. in Cum	Fuel wood/charcoal in Qts.	Other Forest Produce Descriptions
1	2	3	4	5

Remarks
Property marks
Export Hammer marks

Name of person Incharge Produce_____

Designation_____

Check Post(s)(Via)_____
(one copy of challan to be sent to each check post)

Vehicles(Kind and No. etc._____)

Signature of grantee
or
Authorized Agent

ANNEXURE 'C'

(*See* Rule 11)

REGISTER OF EXPORT OF TIMBER AND OTHER FOREST PRODUCE AT CHECK POST_____

1. Name and full address of permit Holder
2. Issuing authority of permit
3. Permit No. and date of issue with details of timber or other Forest Produce allowed be transporting /exporting.
4. Date of expiry of permit.
5. Distinctive property or Khudan Mark.
6. Place to origin/ where from carried.
7. Place to which consigned/ destinations
8. (i) Route and
   (ii) Check post (s) specified for transport

Book No./ Challan No.

Description of timber or other produce							
Sr. No	Date of Export	Quantity			Running total of Quantity transported/ exported	Date of Challan vide transported/ ex ported	Mode of transport Vehicle No.etc
		No.	Volume	Weight			

Signature of preson incharge of timber or other forest produce	Signature of official with designation	Signature of inspecting officer	Remarks
9	10	11	12

_____

"Annexure D"

Schedule-I

[*See* rule 8 (1)]

Forest Produce obtained from the following Plant Species Growing on Private Land Exempt from the requirement of Transit Pass

S. No.	**Botanical Name**	**Local/ Trade Name**
1	*Albizzia spp.*	Oei/Siris
2	*Bauhinia spp.*	Kachnar/Karial

3	*Eucalyptus spp.*	Safeda
4	*Morus spp.*	Kimu/Chimu/Shahtoot/Tut/Mulberry
5	*Populus spp.*	Poplar
6	*Salix spp.*	Willow/Biuns
7	*Dendrocalamus strictus/ Dendrocalamus hamiltonii/ Bambusa nutans/ B. bamboos*	Bamboo culms/ Lathi bans/ Maggar/ Dharainch/ Bans
8	*Saussurea costus* (=*S. lappa*)*	Kuth
9	*Bunium persicum*	Kala Zira

*Export of Kuth (*Saussurea costus/lappa*) will however be subject to fulfillment of requirement under Wildlife (Protection) Act 1972.

The removal and transportation of the forest produce obtained from plants species listed in this schedule and growing on private lands shall be in accordance with the following provisions:

(*i*) The landowner shall intimate in writing to the concerned Range Forest Officer through the local Forest Guard of his intent to harvest the forest produce from plant species listed in this schedule along with estimate of yield before starting the harvest.

(*ii*) The Range Forest Officer may himself or through his representative inspect the land from which such harvest is proposed and verify the yield.

(*iii*) Range Forest Officer shall issue a letter to the landowner giving detail of forest produce obtained from private land.

(*iv*) The landowner shall carry this letter during transportation of the verified produce.

Schedule- 'II'
***See* rule 9 (3)**

List of Forest Produce and Permit Fee thereon

Sr. No.	**Botanical Name**	**Local/ Trade Name**	**Plant Part**	**Permit/ Pass Fee Rs/Qtl**
1	*Abies spectabilis/ A.pindrow*	Talis Patra	Needles/ leaves	125
2	Acacia catetchu	Khair	a) Heartwood/chips b) Khair billet (with bark)	250 175
3	*Aconitum dienorrhizum*	Vatsnabh/ Mohra	Tubers	7,500
4	*Aconitum heterophyllum*	Atis/ Patis/ Karvi Patis	Tubers	5,000
5	*Aconitum violaceum*	Mitha Telia/ Mitha Patis	Tubers	1,000
6	*Acorus calamus*	Bach/ Bare/ Ghor bach	Rhizomes	150
7	*Adhatoda zeylanica/ A.vasica*	Basuti/ Bansa	Leaves	125
8	*Adiantum lunulatum*	Dungtuli/ Hansraj	Fronds/ Whole Plant	125
9	*Aegle marmelos*	Bilgiri	Fruits	500
10	*Aesculus indica*	Khanor	Fruits/ Seeds	150

11	*Ainsliae aptera*	Sathjalori	Roots	150
12	*Ajuga beacteosa*	Neelkanthi	Leaves	125
13	*Alnus nitida*	Kosh Cones	Dry Cones	150
14	*Angelica glauca*	Chora	Roots	150
15	*Arctium lappa*	Jangli Kuth	Roots	125
16	*Arnebia euchroma/ A.benthami*	Ratanjot	Roots	200
17	*Artemisia brevifolia*	Seski	Flowering shoots	125
18	*Asparagus adscendens*	Shatavari/ Sanspai/Safed Musali	Root tubers	200
19	*Atropa acuminata*	Belladona/ Jharka	Leaves	125
20	*Berberis spp*	Kashmal/ Daruhaldi	Roots/ Stems	200
21	*Bergenia ciliata/ B.stracheyi*	Pasahnbhed/ Patharchat	Roots	150
22	*Betula utilis*	Bhoj Pattar /Birch pine	Bark	500
			Dry cone	200
23	*Bunium persicum*	Kala Zira	Fruits	2,000
24	*Carum carvi*	Shingu Zira	Fruits	1,000
25	*Cedrus deodara*	Deodar Rosette	Dry Cone part	150
26	*Cinnamomum tamala*	Tejpatra	Leaves	500
27	*Colebrookia oppositifolia*	Bindi Phool	Leaves/ Roots	125
28	*Coleus aromaticus*	Pathan Bail	Leaves, seeds	30
29	*Curcuma angustifolia*	Ban Haldi	Rhizomes	150
30	*Dactylorhiza hatageria*	Salam Panja/ Hath Panja	Root tubers	6,000
31	*Dioscorea deltoidea*	Singli Mingli/ Kins	Roots	900
32	*Emblica officinalis*	Amla	Fruits	150
33	*Ephedra gererdiana*	Somlata	Twigs	200
34	*Fritillaria roylei*	Ban Lehsun'/Mushtanda	Bulb	10,000
35	*Geranium nepalense*	Laljari/ Raktjari	Roots	125
36	*Girardiana diversifolia*	Bichhu Buti	Roots	150
37	*Hedychium acuminatum*	Kapur Kachri/ Kachur/ Van Haldi	Roots	100
38	*Heracleum spp (H. candicans; H. lanatum)*	Patishan/ Patrala	Roots	100
39	*Hyocymus niger*	Khurasani Ajwain	Seeds/ Leaves	150
40	*Hypericum patulum/ H.perforatum*	Khaarera/ Basant	Whole Plant	250
41	*Hyssopus officinalis*	Juffa Flowering	Twigs	500
42	*Iris germanica*	Safed Bach	Rhizomes	125
43	*Juglans regia*	Akhrot/ Khod	Bark	1000
44	*Juniperus communis*	Hauber	Berries	250
45	*Juniperus recurva/ J. macropoda*	Bether Patta	Leaves	150
46	*Jurinea macrocephala =J. dolomoea*	Dhoop/ Guggal dhoop	Roots	500
47	*Lichens*	Chalora/ Chharila/ Jhula/ Mehndi/ Stone flower	Thallus	500
48	*Mentha longifolia*	Jangli Pudina	Leaves	125
49	*Morchella esculenta*	Guchhi/ Cheun	Fruiting Body	10,000
50	*Mosses*	Green Moss Ghas	Thallus	250
51	*Murraya koenigii*	Mitthi Nim	Leaves	150
52	*Myrica esculenta*	Kaphal	Bark	200

53	*Nardostachys grandiflora*	Jatamansi	Roots	1,000
54	*Origanum vulgare*	Ban Tulasi	Leaves	150
55	*Oroxylum indicum*	Shyonak, Tatpalanga	Bark, Pod	125
56	*Paris polyphylla*	Dudhia bach/ Satva	Rhizomes	200
57	*Picrorhiza kurroa*	Karoo/ Kutki	Rhizomes	1,000
58	*Pinus gerardiana*	Chilgoza/ Neoza	Seeds	1,000
59	*Pinus roxburghii*	Chil Cones	Dry Cones	1000
			Dry needles	5
60	*Pinus wallichiana*	Kail Cones	Dry Cones	1,000
61	*Pistacia integerrima*	Kakarsingi	Leaf Galls	1,000
62	*Podophyllum hexandrum =P. emodi*	Bankakri	Fruits	250
			Roots	450
63	*Polygonatum spp.*	Salam Mishri/ Meda/ Mahameda	Rhizomes	1,000
64	*Potentilla nepalensis*	Dori Ghas	Roots	125
65	*Prunus cerasoides*	Pajja/ Padam/ Padmakasht	Wood	125
66	*Punica granatum*	Daru/ Anar	Fruits/ Seeds	500
67	*Pyrus pashia*	Kainth/ Shegal	Fruits	125
68	*Rauvolfia serpentina*	Sarpagandha	Roots	500
69	*Rheum spp. (R. australe =R. emodi/ R. speciforme)*	Revandchini	Roots	200
70	*Rhododendron anthopogon*	Talis patra	Leaves	125
71	*Rhododendron arboreum*	Brash/ Burah	Flowers	150
72	*Rhododendron campanulatum*	Kashmiri Patta	Leaves	150
73	*Salvia moorcroftiana*	Thuth	Roots	200
74	*Sapindus mukorossi*	Ritha/ Dodde	Fruits	150
75	*Saussurea costus/S.lappa*	Kuth	Roots	300
76	*Selinum spp. (S.vaginatum/ S. tenuifolium)*	Bhutkesi	Roots	400
77	*Swertia spp*	Chirata	Whole Plant	700
78	*Taraxacum officinale*	Dhudhi/ Dandelion	Roots	125
79	*Taxus wallichiana =T. baccata*	Birmi/ Thuna/ Rakhal	Needles	600
80	*Terminalia bellirica*	Bahera	Fruits	300
81	*Terminalia chebula*	Harar	Fruits	500
82	*Thalictrum foliolosum*	Mamiri	Roots	350
83	*Thymus serpyllum*	Banajwain	Aerial Parts (Herb)	125
84	*Tinospora cordifolia*	Giloe/Guduchi	Stems	125
85	*Toona ciliata/Cedrela toona*	Bari phool	Dried fruits	125
86	*Trillidium govanianum*	Nag Chhatri	Roots/ Rhizomes	8000
87	*Valeriana spp.*	Mushakbala/ Tagar/ Nihanu	Roots/ Rhizomes	600
88	*Viola spp*	Banafsha	Flowers/ aerial parts	2,250
89	*Withania somnifera*	Ashvagandha	Roots	200
90	*Woodfordia fruticosa*	Dhatki/ Dhai	Flowers	150
91	*Zanthoxylum armatum*	Tirmir	Fruits/ seeds	250
	All other Non Timber Forest Produce(NTFP) not listed above			100

Schedule- III

[*See* Rule 9 (3)]

General Provisions relating to Registration of Grower, Cultivation of Medicinal Plants on Private Land and Transportation of Produce so Obtained

A. Registration of Growers for Cultivation of Medicinal Plants:

1. Every grower intending to cultivate medicinal plants listed in **Schedule-'II'** on his/ her private land shall get himself/ herself registered with the concerned Divisional Forest Officer (DFO) by paying a registration fee of Rs. 100/-. For this purpose, the grower will submit completed applications in the specified format given in **Schedule-III(A),** in duplicate, alongwith registration fee to the Deputy Ranger of the concerned block, who will (i) return one copy to the grower after acknowledging the receipt of application, and (ii) submit the application to the concerned Range Forest Officer (RFO) for getting registered with the DFO. After registration, the Forest Guard will hand over the registration certificates, in the given format given in **Schedule-III(B),** to the applicant, within one month of submission of application.

2. Applicant shall submit registered power of attorney alongwith application for registration in case the land is not in his name.

3. The registration shall be valid only in respect of the species for which registration has been obtained.

4. Registration shall be valid for a period of five years from the date of registration, after which it would need to be re-registered.

B. Cultivation of Medicinal Plants:

1. The growers shall inform the concerned RFO through the local Forest Guard about the medicinal plant species cultivated by him/ her on his/ her private land within one month of sowing/ planting.

2. The grower shall procure seed/ germplasm for cultivation from certified sources only and shall not collect/ remove the same from wild resources, unless permitted in writing by the Divisional Forest Officer (DFO).

3. The grower shall get the khasra-wise land details bearing medicinal plant cultivation entered in the revenue records for the year.

4. The Range Forest Officer (RFO) or his representative may visit the fields under medicinal plant cultivation within the gestation period and certify the extent and quality of such crop.

5. The grower shall inform the Range Forest Officer through the local Forest Guard about the time of harvest (i) at least one month in advance, and (ii) immediately after harvesting.

6. The grower shall make the necessary records pertaining to the medicinal plant cultivation on his/ her land available to the RFO or his representative to facilitate verification of cultivation.

C. Transportation of Produce Obtained from Cultivated Sources:

1. The grower or his authorized person shall transport the material after obtaining necessary transit pass under these Rules from the Divisional Forest Officer.

2. Other regulations to transport the cultivated produce shall be as per the provisions of these rules.

D. Penalty, etc. for Violation of Provisions:

In case of violation of provisions contained in this annexure, the registration shall be cancelled and produce shall be seized and further action shall be taken as per law.

Schedule- III(A)
[*See* Schedule-III

(Application Format for Registration of Growers)

Name of Applicant:

Address:

Name of Panchayat:

Land details (attach copy of revenue papers**):**

Khasra nos.:

Total Area:
Medicinal Plant Species Proposed to be Cultivated:

S.No.	Botanical Name of Species	Local Name	Proposed Source of Seed/ Germplasm
1			
2			
3			

Undertaking by the Applicant: Having read the general provisions contained in **Annexure-D** of the H.P. Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013, I undertake to cultivate medicinal plant species in accordance with the given provisions. I further undertake that in case of any violation of the provisions under the rules, I shall be liable to be proceeded against under provisions of the law.

Signature of the Applicant

For Office Use:

Application Received on _____

Signature & Name of Block Officer

Name of Beat_____
Name of Block_____
Name of Range_____
Name of Division_____

Application received in the Office of RFO_____
Application received in the office of DFO_____
Registration Number and date:_____

Signature and Seal of DFO

_____

Schedule –III(B)
(*See* Schedule-III)

(Certificate Format for Registration of Growers)

Registration No.:_____ **Date:** _____

With respect to his/ her application dated _____, Sh./ Smt. _____ s/o / d/o Sh._____, and resident of _____ _____, falling under _____ Panchayat, has been registered as a grower of medicinal and aromatic plants on his/ her private land/ leased land bearing khasra nos. _____ involving area _____ bighas in respect of the following species:

S. No.	**Botanical Name of Species**	**Local Name**
1		
2		
3		

This certificate is valid for five years from the date of registration.

Terms and Conditions of Registration: The registered grower shall undertake cultivation of medicinal species permitted for cultivation in this certificate strictly in accordance with general provisions contained in **Annexure-D,** appended to the H.P. Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013. In case of any violation of the provisions of these rules, this certificate of registration is liable to be cancelled and the violator shall be proceeded against under provisions of the law.

Signature and Seal of DFO

Annexure – 'E'

[*see* rule 9 (3)]

Guidelines for Transit of Medicinal Plants, Seeds and Miscellaneous NTFPs to the notified Herbal Mandis and Sale thereof

1. Persons intending to transport forest produce, collected from wild/ cultivated land, of the species listed under **Schedule-'II'** of these rules to the notified Herbal Mandis (operated by HPSFDC and/ or APMC) within Himachal Pradesh, shall apply to the Divisional Forest Officer (DFO) for issue of 'Pass' Nihanu to Herbal Mandis' on **Annexure-E(I)** (prototype of application form given below) along with a Permit Fee of Rs. 10/-. No export Fee will be leviable on such forest produce being transported to the herbal mandi.

2. The DFO shall issue 'Pass to Herbal Mandis' on **Annexure-E(2)** to such applicant after getting the forest produce verified from his field staff, within three (3) days of receipt of application verification (prototype of such pass given below as **Annexure-E(2).**

3. The applicant shall transport the material to the sale depot within 7 days of receipt of pass to Herbal Mandis.

4. The produce thus brought to the notified herbal mandis shall be put to auction by the concerned sale depot authorities as per specified auction rules.

5. On successful completion of sale, the concerned DFO in whose jurisdiction the herbal mandi exists shall issue the necessary Transit Pass under these rules to the buyer(s) after recovery of Export Fee prescribed in Schedule-II from the buyer (s).

Annexure – E-(1)

[*See* Annexure "E"]

(Application For issuance of Pass by persons desirous of transporting notified medicinal plants/ parts thereof to herbal Mandis)

Name of Applicant:

Address:

Name of Panchayat:

Species to be transported to Sale Depots:

S. No.	Name of Species	Local Name	Part	Qty.(in Qtls)	Collected from (name of forest)/ Cultivated (name of village)
1					
2					
3					

If cultivated, Registration No.:
Name of Sale Depot:

Undertaking by the Applicant: I certify that the material has been collected in accordance with the regulation and prescribed procedure. I undertake to transport the material as per details given above directly to the destination/ herbal mandi as requested for. I further undertake that in case of any violation by me on this account, I shall be liable to be proceeded against under provisions of these rules.

Signature of the Applicant.

Verification by the Field Staff:
Certified that:

1. The above material has been collected in accordance with the regulation and prescribed procedure.

2. The applicant has not committed any forest offence in respect of the produce being transported.

3. I have checked the quality and quantity of the above mentioned forest produce and is found correct.
4. The necessary pass in favour of the applicant is recommended. Signature of Beat Guard:

Verification by Block Officer:

Recommendation by Range Officer:

_____

Annexure – E-2

[*See* rule 9 (3) proviso.3]

Pass for transit of non timber forest produce (NTFP) to notified Herbal Mandis

Pass No.:_____ Date: _____

With respect to his/ her application dated _____, Sh./ Smt. _____ s/o / d/o Sh._____, and resident of _____ _____, falling under _____ Panchayat, is allowed to transport medicinal plants, seeds and miscellaneous NTFPs and parts thereof to _____ Herbal Mandi, in respect of the following species:

S. No.	Name of Species	Local Name	Part	Qty.(in Qtls)	Collected from (name of forest)/ Cultivated(name of village)
1					
2					
3					

Name & Signature of the Forest Guard

Beat……..

Block…….

Range……..
Division…….".

Copy to: Applicant/Range officer/Check Post/ I/c Herbal Mandi

By order,
TARUN SHRIDHAR'
Principal Secretary (Forests).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है